

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 2 / 2 / 2019

क्रमांक एफ 3(ए)169 / 1996 / ए-1 / दो
प्रति,


✓ पुलिस अधीक्षक,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय :- निवासवृद्धि-पाक नागरिका-श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री गुरुमुखदास निवासी
जिला भोपाल।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित ज्ञापन क्रमांक जिविशा/भो/पाक/(एलटीवी
-193) दिनांक 16.07.2015,17.08.2017
---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत पाक नागरिका श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री गुरुमुखदास
को दिनांक 11.08.2015 से 10.08.2017 एवं दिनांक 11.08.2017 से 10.08.2019 तक अच्छे
व्यवहार के आधार पर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर0पी0 पृष्ठांकित किया जाकर, चेकपोस्ट को सूचना
दी जाये। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख
करें।


(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 3(ए)169 / 1996 / ए-1 / दो
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / / 2019

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) भोपाल, की ओर उनके पत्र क्रमांक
विशा / 15 / पाक / 2015,17-20(2175,1192)दि.04.08.2015,08.09.2017 के संदर्भ में
सूचनार्थ प्रेषित।
- 2, आवेदक श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री गुरुमुखदास निवासी म.न. 92 मोती क्वार्टस
टीलाजमालपुरा जिला भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 सामान्य शाखा गृह विभाग की ओर अपडेसन हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह(पारपत्र) विभाग

